राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.
"कर–भवन" अजमेर

क्रमांक : एफ–7(42)जन/2015/पार्ट–I/14924-15466 दिनांक : 14/10/2016

1. **समस्त उप महानिरीक्षक**
   पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
   राजस्थान।

2. **समस्त उप पंजीयक,**
   (पूर्णकालीन एवं पदेन),
   राजस्थान

विषय : उप पंजीयक एवं उप महानिरीक्षक कार्यालयों में प्राईवेट व्यक्तियों से कार्य संपादन करवाने की प्रवृत्ति को रोकने के संबंध में।

प्रसंग : विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.7(42)जन/2010/14902 दिनांक 15.09.10

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा प्रासंगिक आदेश दिनांक 15.09.2010 जारी कर यह निर्देश दिये गये थे कि प्राईवेट व्यक्तियों के द्वारा उप पंजीयक एवं उप महानिरीक्षक कार्यालयों में मौका निरीक्षण का कार्य करवाने, कार्यालय के अंदर कार्य संपादित करने की प्रवृत्ति उचित नहीं होने के कारण ऐसी प्रवृत्ति को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जायें, साथ ही यह निर्देश भी दिये गये थे कि उप महानिरीक्षक इस आदेश की पूर्ण पालना सुनिश्चित करवाने के लिये उत्तरदायी होंगे। यदि इस आदेश की शत–प्रतिशत पालना नहीं होने की अवस्था में उनकी पर्यवेक्षण की कमी मानी जायेगी।

उप पंजीयक कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि वर्तमान में भी उप पंजीयक कार्यालयों में कार्य निष्पादन करने के लिये प्राईवेट व्यक्तियों से सहायता ली जा रही है। ऐसा कृत्य सेवा नियमों के तहत अनुशासनहीनता की श्रेणी में आने के साथ–साथ विभागीय निर्देशों की अवहेलना भी है।

विभाग के स्तर से जारी किये जाने वाले सभी दिशा–निर्देशों की शत–प्रतिशत पालना सुनिश्चित करवाने का दायित्व उप महानिरीक्षकों का है। अतः इस संबंध में पुनः निर्देश दिये जाते है कि उप पंजीयक एवं उप महानिरीक्षक कार्यालयों में प्राईवेट व्यक्तियों से कार्य निष्पादन की प्रवृत्ति को तत्काल प्रभाव से रोका जाना सुनिश्चित करें। सभी उप महानिरीक्षकों को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने वृत्त के समस्त उप पंजीयकों को अपने स्तर से भी आवश्यक निर्देश जारी कर प्राईवेट व्यक्तियों से कार्य संपादन करवाने की प्रवृत्ति को तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिये जायें।

भविष्य में उच्च अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान किसी भी उप पंजीयक अथवा उप महानिरीक्षक कार्यालयों में प्राईवेट व्यक्तियों के द्वारा कार्य निष्पादन करवाना पाया जायेगा तो इसे विभागीय निर्देशों की अवहेलना मानकर उचित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

14-10-2016
(नन्नूमल पहाड़िया)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : एफ–7(42)जन/2015/पार्ट–I/15467 दिनांक : 14/10/16

प्रतिलिपि : अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

14-10-2016
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

"कर भवन", द्वितीय तल, टोडरमल मार्ग, अजमेर 305001 (राज.),
फो. : 0145–2627590, 2425105 फैक्स 2431002, 2627750 ई–मेल igrs@rajasthan.gov.in
वेबसाईट : http://igrs.rajasthan.gov.in